राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 4(15)शिक्षा–1/2016 जयपुर, दिनांक 7/5/2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु संवेतन मद की राशि की स्वीकृति बाबत।

संदर्भः– राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पत्रांकः प. 7 ( )/रास्कूशिप/लेखा/मॉडल स्कूल/2019–20 / 11534 दिनांक 08.04.2020 एवं 16.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के अधीनस्थ संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन अंतर्गत कार्मिकों के माह फरवरी व मार्च, 2020 के वेतन भुगतान हेतु वर्ष 2020–21 में प्रावधित राशि में से राशि 3540.00 लाख रूपये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित कर निम्न शर्ताधीन व्यय करने की माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

उक्त राशि का व्यय भार निम्न बजट मद अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

क्र.स.	बजट मद (राज्य निधि)	राशि लाखों में
1.	2202–02–109–(09)–[01]–92 संवेतन	2400.00
2.	2202–02–109–(09)–[02]–92 संवेतन	640.00
3.	2202–02–109–(09)–[03]–92 संवेतन	500.00
	कुल	**3540.00**

(अक्षरे रूपये पैतीस करोड चालीस लाख मात्र)

लगातार–2

www.rajteachers.com

शर्तें :–

1 राशि का व्यय योजना के दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2 निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जावेंगा।
3 जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावेगा।
4 व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जावेंगा।
5 व्यय की गई राशि के लेखों की जांच महालेखाकार कार्यालय एवं विभागीय लेखा अधिकारियों द्वारा की जा सकेंगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्याः 102001877 दिनांक 05.05.2020 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(अशोक कुमार त्रिवेदी)
O/C शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
5 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि रूपये 3540.00 लाख़ रूपये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरण करवाने का श्रम करावें।
6 संयुक्त सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7 वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10 उप निदेशक (योजना)/(माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर।
11 रक्षित पत्रावली।

07/5/2020
(डॉ. रणवीर सिंह)
O/C विशेषाधिकारी–शिक्षा

www.rajteachers.com

D:\Dixit\Davaram G\ 4(15)2008 M...